रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 371] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 22, 1983/भाद्र 31, 1905
No. 371] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 22, 1983/BHADRA 31, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1983

सा० का० नि० 736 (अ) .—भारतीय रेल अधिनियम 1890 (1890 का 9) की धारा 47 की उपधारा (1) के खण्ड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा रेलवे (भाण्डागार और स्थान शुल्क) नियम, 1958 का और आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम रेलवे (भाण्डागार और स्थान शुल्क) (संशोधन) नियम, 1983 कहलायेंगे।

(2) ये 15 अक्तूबर, 1983 से प्रवृत्त होंगे।

2 रेलवे (भाण्डागार और स्थान शुल्क) नियम 1958 के नियम 18 के खण्ड (ख) में वर्तमान (i), (ii), (iii), (iv) और (v) प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् —

"(i) जहां आधिक्य दस प्रतिशत से अधिक न हो	पचहत्तर रुपये प्रति चौपहिया माल डिब्बा
(ii) जहां आधिक्य दस प्रतिशत से अधिक हो परन्तु बीस प्रतिशत से अधिक न हो	एक सौ पचास रुपये प्रति चौपहिया माल डिब्बा
(iii) जहां आधिक्य बीस प्रतिशत से अधिक हो	तीन सौ रुपये प्रति चौपहिया माल डिब्बा"

[सं० टी०सी० 1/82/109/5]

अजय जौहरी, सचिव, रेलवे बोर्ड
एवं पदेन संयुक्त सचिव

टिप्पणी —(i) मुख्य नियम दिनांक 28-8-1958 के राजपत्र भाग II खण्ड 3 उप-खण्ड (ii) में का० आ० सं० 1793 के अधीन प्रकाशित किया गया था।

(ii) इस नियम का प्रथम संशोधन दिनांक 19-8-78 के भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में प्रकाशित हुआ था।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 1983

G.S.R. 736 (E).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (1) of section 47 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways (Warehousing and Wharfage) Rules, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railways (Warehousing and Wharfage) (Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force with effect from 15th October, 1983.

2. In the Railways (Warehousing and Wharfage) Rules 1958, clause (b) of rule, 18, for the existing entries (i), (ii), (iii), (iv) and (v), the following entries shall be substituted, namely:—

"(i) Where the excess is not more than ten per cent.	Rupees seventy five per four wheeled wagon.

(ii) Where the excess is more than ten per cent but not more than twenty per cent	Rupees one hundred and fifty per four wheeled wagon.
(iii) Where the excess is more than twenty per cent	Rupees three hundred per four wheeled wagon."

[No. TCI/82/109/5].

A. JOHRI, Secy., Railway Board and
Ex. Officio Jt. Secy. to the Govt. of India.

Note. (i) Principal Rule was published in the Gazette of India under S.O. No. 1793 in Part II section 3 sub-section (ii) dated 28-8-1958.

(ii) First amendment to this rule was published in the Gazette of India under S.O. No. 2356 Part II. Section 3, sub section (ii) dated 19-8-78.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983